

संस्था प्रत्यक्ष १९४९-१९५० में आयुक्त १४ अग्रणी विभागों में उन संशोधन प्रयोगों को

कंपोसिंग की पुस्तकें 2014-20 (प्रधान विभाजन) व पुस्तकें 2014-20 (प्रधान विभाजन) / 15 दिनांक 20-01-2014 द्वारा 59 तथा अनुसूचित विभाजन-2014 के अनुसार सजाया 20-01-2014 द्वारा 15 अनुसूचित विभाजन व निर्धारित कार्यवाही हेतु सजाय की मूल दली एवं परिवर्तनीय महामाई सजा का निर्धारण करने हेतु अनुसूचित विभाग द्वारा या विभाग के माध्यम से एक मीटिंग में हुई जो संशोधित करने हेतु संशोधित अनुसूचित विभाग किया जा रहा है।

विकास के अनुक्रम में निर्धारित 74 विचारधारा में निर्धारित कर्मचारी को यदि अखिर भारतीय उपमहाद्वीप सूचनात्मक आधार वर्ष (2001-1302) तक जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 485 जलो के काल जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत 485 जलो पर दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय बदलाई माला निम्नलिखित पृथक् भी भेजि सलन करके देय होगा-

विभाग 04-10-2021 से विभाग 31-3-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय भरीवाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(345-216) x 5750-923-5761 / -u8196

290

विभिन्न क्षेत्रों के कार्यवाहियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक मूल मजदूरी, परिवर्तनीय भातगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दूने निम्नलिखित है—

क्रमांक	वर्ग	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय सहभाई मूलतः (रुपये में)	दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7		
1	अनुप्रास	6750	3520	3434	9164	353.23		
2	अनुप्रास	8325	3600	3777.29	10,102.29	389		
3	अनुप्रास	7005	4100	4231.16	11316.16	435.23		

Distance of street —

1. स्वर विनिर्माणशाला और स्वर उत्पाद(दायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. वासित पेयों (एसोटेड ड्रिंक) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आपूर्त पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलावे कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बीछ लटबन्धा के निर्माण और अनुसूच, सिचाई परियोजनाओं कुओं और सलाखों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सलान की दुकानों।
13. इलाई घर।
14. छातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अधिव्यवस्थापन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. हाजरी सफाई।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ सफाई और फनीयर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
23. लम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वायिकी (फ्लेक्सीटी) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में।
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यौक्तिक परिवहन कर्मशाला।
32. आलोगोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सकियाओं।
34. पाथर तोड़ने या पाथर कुटने।
35. बिकन के कार्य।
36. विद्यालयों के उद्योग।
37. आटोमोबाइल, आटोमोबाइल विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. अन्य विनिर्माणशाला।
40. एक्सेल्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

विभिन्न मजदूर अधिनियम-1948 का अन्तर्गत 78 अनुसूचित प्रकरणों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता
 कर्मचारियों के बीच संख्या-618-25 परतेन- (एफ/एच/30) / 15 दिनांक 05-10-2021 मजदूर अधिनियम-1948 के अन्तर्गत संख्या-
 सं-198/30-3-2014 (एफ/एच/30) / 4 दिनांक 28-01-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/30-3-2019-331 (एफ/एच/30) / 5 दिनांक
 05-09-2019 द्वारा 15 अनुसूचित निवासियों में निर्धारित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण करते हुए
 आगमन किया गया था जिसके अन्तर्गत-4 में उक्त में हुई ओ सशर्तित करते हुए संशोधित आगमन निम्न किया जा रहा है।
 उक्त के अन्तर्गत में निम्नलिखित 24 निवासियों में निर्धारित कर्मचारियों को शिपे अधिन भाषीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)
 मूल मुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 345 अंकों के ऊपर जबकी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 340 अंकों पर दिनांक 1.10.2021
 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित सूचकांक की शर्तों में गणना करने देय होगा-
 सूचकांक- 5750/- प्रतिमाह मजदूरी का देय अकुशल कंपनी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-345 पर
 दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-3-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
 (अं- 216) X 5750- 50- 5757/- प्रतिमाह

216

विभिन्न कंपनी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नलिखित हैं-

क्रमिक	वर्गी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रुपये में		दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	
			दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3328	5434	9184	353.23
2	अकुशल	6325	3660	3777.29	10,102.29	389
3	कुशल	7085	4100	4231.16	11316.16	435.23

निर्वाचन के माध्यम-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरोटेड ड्रिंक) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. पराचदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पैटेल और जीजल आयल पंप।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाने कंपोउंड की विनिर्माणशाला।
10. बीच लटपन्ध के निर्माण और अनुक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त एजिन्टीकृत कारखानों में निवेशन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल (सर्विस हाथ्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डॉक्टरों सामान की दुकानों।
13. इलाई घर।
14. चाय उद्योग।
15. दिन प्लेट हाथिंग और दिन चिदिंग।
16. ऐसा अभियन्तण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. लोखरी सामान।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकलन और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
23. तथाकृ विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वाणिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में।
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यौक्तिक परिवहन कर्मशाला।
32. आरोग्योपार्जन रिपेयर कर्मशाला।
33. लड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दिवाखलाई उद्योग।
37. आइसक्रीम/ आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिरकुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

